कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक/सामा./2020/171 — मुरैना दिनांक 13/03/2020

//आदेश//

शासन निर्देशानुसार जिला मुरैना के लोक स्वास्थ्य एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये, नॉवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जिले की समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, सी.बी.एस.ई. बोर्ड व अन्य बोर्ड से संबंधित प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आगामी आदेश होने तक अवकाश रहेगा, किन्तु संचालित विद्यालयों में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षाओं तथा कक्षा 10 एवं 12 की वार्षिक परीक्षाओं (चाहे वे किसी सक्षम बोर्ड/प्रबंधन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही हों) का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।

उक्त के साथ–साथ कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे ।

शासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/अकादमिक कार्य सम्पादित करेंगे।

अवकाश अवधि के दौरान समस्त निजी विद्यालय, शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिसका कड़ाई से पालन किया जावे।

कलेक्टर
जिला मुरैना

पृष्ठा. क्रमांक/सामा./2020/172 — मुरैना दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/483/670/2020/20–2 दिनांक 13.03.2020 के पालन में सूचनार्थ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग जिला मुरैना की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संचालक कोचिंग संस्थान --------- जिला मुरैना की ओर कोचिंग संस्थान बंद रखने हेतु ।
9. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी .... जिला मुरैना
10. समस्त खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र.............................. जिला मुरैना
11. समस्त प्राचार्य/प्रधानाध्यापक शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, सी.बी.एस.ई. बोर्ड व अन्य बोर्ड द्वारा संचालित उ.मा.वि./हाईस्कूल/मा.वि./प्रा.वि. ....जिला मुरैना की ओर आदेश का पालन सुनिश्चित करने/कराने हेतु।

कलेक्टर
जिला मुरैना

E:\Brijendra Tomar File 2020\AADESH\AADESH 2020.Docx

Scanned with CamScanner